30

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3949-दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-10-12 पारित द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक निगरानी 189/अ-19/2007-08.

किशन शिवहरे पुत्र श्री रज्जूलाल शिवहरे
निवासी मोहन पुरवा पन्ना,
तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1- नत्थू पुत्र धीरज बढ़ई
निवासी मोहन पुरवा पन्ना
तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 ---- अनावेदक

2- महेश पुत्र श्री रज्जूलाल शिवहरे

3- रामा उर्फ रामअवतार पुत्र श्री रज्जूलाल शिवहरे

4- विधा पुत्री श्री रज्जूलाल शिवहरे
निवासीगण मोहनपुरवा पन्ना
तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 ---- तरतीवी अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता आर.डी. शर्मा ।
अनावेदक क्रमांक - 1 एकपक्षीय.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 189/अ-19/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 3-10-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक नत्थू आत्मज धीरज बढ़ई द्वारा नायब तहसीलदार, पन्ना के न्यायालय के राजस्व प्रयकरण क्रमांक 41/अ-19[8ब)/1977-78 में पारित आदेश दिनांक 30-5-1979 के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के तहत प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने के लिए दिनांक 30-6-2006 को आवेदन पत्र अपर कलेक्टर, पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि ककग्राम पन्ना स्थित भूमि खसरा नं. 1046, 1060, 1061, 1062, 1063 एवं 1064 कुल रकबा क्रमशः 0.48, 0.12, 0.21, 0.36, 0.62 एवं 1.44 पूर्व से शासकीय थी जिस पर आवेदक का कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि पर रज्जूलाल का कभी कब्जा नहीं रहा उसने उक्त भूमियों का अवैधानिक तरीके से पात्रता न होने पर भी अपने नाम व्यवस्थापन करा लिया है, जिसे निरस्त किया जाकर उसके नाम व्यवस्थापन किया जाये ।

अपर कलेक्टर, पन्ना ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 27-2-2008 द्वारा उक्त निगरानी आवेदक द्वारा 32 वर्ष के विलंब असाधारण विलंब को क्षमा करने के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत न करने तथा संहिता की धारा 48 के तहत आलोच्य आदेश मी प्रमाणित प्रति पेश नहीं किये जाने तथा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पिता को व्यवस्थापन में प्राप्त हुई थी इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए सर्वे नंबर 1046 एवं 1064 शासकीय दर्ज करने एवं शेष भूमियों के संबंध में अपर कलेक्टर को यह निर्देश दिए हैं कि वे 100 साल पुराना रिकार्ड निकालकर जांच पश्चात प्रकरण का निराकरण करें । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार रहित है । आवेदक के पिता ने प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 961 एवं 963 (वर्तमान नया सर्वे नंबर 1060) तथा सर्वे नंबर , 964 एवं 961 (वर्तमान सर्वे नंबर 1061) को वर्ष 1958 में एवं सवे नंबर 1062 एवं 1063 को वर्ष 1970 में पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया था । इसी प्रकार भूमि सर्वे नंबर 1046 एवं 1064 का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में वर्ष 1979 में तहसील

न्यायालय द्वारा किया गया था । उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी 32 वर्ष के विलंब से पेश की गई थी जिसके साथ विलंब क्षमा करने का कोई आवेदन नहीं दिया गया, इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति के बिना पेश की गई थी इस कारण भी निगरानी प्रचलन योग्य नहीं थी । इस संबंध में उनके द्वारा 1981 आर.एन. 521 का हवाला देते हुए कहा गया कि अपर कलेक्टर ने अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अवधि बाह्य तथा ग्रहण योग्य न पाए जाने के आधार पर विधिवत खारिज किया था जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा वैधानिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की हैं । अनावेदक का उक्त भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है और ना ही उसका कभी कोई आधिपत्य रहा है ऐसी स्थिति में उसे पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं था ।

यह तर्क दिया गया कि लंबे समय उपरांत स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में लगभग 32 वर्ष उपरांत अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अवधि बाह्य पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं किया जा सकता था । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर का आदेश गुणदोष पर नहीं था इस कारण आयुक्त द्वारा गुणदोष पर पारित आदेश अवैध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश अपीलनीय आदेश था जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 50 के परंतुक एक के अधीन पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं है । आयुक्त द्वारा 100 वर्ष पुराना रिकार्ड निकालकर निराकरण किया जाये, यह निर्देश देना नितांत अवैध, अनुचित एवं अधिकारिता रहित है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 तरतीवी पक्षकार होने से उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है ।

6/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ

न्यायालय का जो आदेश है वह अभिलेख पर आधारित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण के मूल तथ्यों से हटकर आदेश पारित किया गया है क्योंकि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी 32 वर्ष उपरांत पेश की गई थी जिसे उन्होंने अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मूल बिंदु से हटकर आदेश पारित किया गया है ।

7/ आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 25-8-58 एवं 4-7-70 की फोटो प्रतियां पेश की गई है जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता रज्जूलाल द्वारा अन्य भूमियों के साथ सर्वे नंबर 961 रकबा 0.12 (वर्तमान सर्वे नंबर 1060) एवं सर्वे नंबर 963 रकबा 0.21 (वर्तमान सर्वे नंबर 1061) को दिनांक 25-8-58 को तथा भूमि सर्वे नंबर 1062 रकबा 0.36 एवं सर्वे नंबर 1063 रकबा 0.62 दिनांक 4-7-70 को क्रय की क्रय की गई हैं । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में खसरा पांचसाला 75-76 लगायत 78-79 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें सर्वे नंबर 1046 एवं 1064 पर आवेदक के पिता रज्जूलाल का नाम तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-5-79 द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वे नं. 1046 एवं 1064 को शासकीय भूमि मानना तथा शेष सर्वे नंबरों के संबंध में यह कहना कि अपर कलेक्टर 100 साल पुराना रिकार्ड देखकर जांच कर प्रकरण का निराकरण करें औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । प्रकरण में जो दस्तावेज एवं साक्ष्य उपलब्ध है उससे यह सिद्ध है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक के पिता रज्जूलाल का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । 30-5-1979 के व्यवस्थापन आदेश के 26 वर्ष उपरांत दिनांक 30-6-06 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा स्वमेव निगरानी हेतु आवेदन देना विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार जिसमें म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । प्रकरण के तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर अवैधानिक होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

8/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी नायब तहसीलदार, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 41/अ-19(ब)/77-78 में पारित आदेश दिनांक 30-5-79 के विरूद्ध पेश की गई थी परंतु निगरानी के साथ आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई और ना ही प्रमाणित प्रति पेश किए जाने से छूट दिए जाने संबंधी कोई आवेदन दिया गया था, जोकि संहिता की धारा 48 के प्रावधानों के तहत आवश्यक है । न्यायदृष्टांत 1986 आर.एन. 257 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि -भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा 48 - तथा 50 पुनरीक्षण की ग्राह्यता - पुनरीक्षण के साथ विवादित आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई - पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं । इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के साथ 32 वर्ष के विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश नहीं किया गया था, न्यायदृष्टांत 1996 आर0एन0 258 हीरालाल विरूद्ध नाथूलाल में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " धारा 5- विलम्ब की माफी के लिए आवेदन तथा शपथ पत्र फाइल नहीं किया गया - 5 दिन का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है ।" अतः इस प्रकरण में अपर कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया था उसमें हस्तक्षेप का कोई

आधार नहीं था, इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-12-12 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर, पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-2-2008 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार, पन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख पूर्ववत संशोधित किए जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3949–दो/12 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–7–16	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 151 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता पर प्रकरण आज लिया गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 3949–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 10–6–2016 में आदेश के पृष्ठ कमांक 6 की 7वीं लाइन में टंकण की त्रुटिवश आदेश दिनांक 3–10–12 के स्थान पर 3–12–12 टाइप हो गया है, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं मूल प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 10–6–2016 को पारित आदेश के पैरा के पृष्ठ कमांक 6 की 7वीं लाइन में 3–12–12 के स्थान पर 3–10–12 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । सदस्य	4.7.16